



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ-226006

पत्रांक:टीएस-सीसीटीएनएस-06 / 2010

दिनांक: नवम्बर 22, 2017

सेवा में,

श्री सुमित गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर,
सिस्टम इन्फ्राग्रेटर (एस0आई0)
मेसर्स एन0आई0आई0टी0 टेक्नालॉजी लिमिटेड, लखनऊ।

श्री जगमोहन यादव, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के संलग्न डीजी-परिपत्र संख्या 75 / 2015 दिनांक 09.12.2015 का अवलोकन करें जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त थानों में पंजीकृत एफ0आई0आर0 को कुछ अपवादों सहित उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में है। जिसके अनुसार कुछ प्रथम सूचना रिपोर्ट को संवेदनशील प्रकृति की श्रेणी में रखते हुए एनसीआरबी द्वारा प्रदत्त कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) के सिटीजन पोर्टल में व्यू एफ0आई0आर0 में प्रदर्शित न किये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षा की गयी है।

2— उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री जगमोहन यादव, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के संलग्न डीजी-परिपत्र संख्या 75 / 2015 दिनांक 09.12.2015 में वर्णित संवेदनशील प्रकृति की श्रेणी में आने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट को एनसीआरबी द्वारा प्रदत्त कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS 4.5) के सिटीजन पोर्टल में व्यू एफ0आई0आर0 में प्रदर्शित न किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

425
14/11/15

57

फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता

डीजी परिपत्र संख्या - 75 /2015

जगमोहन यादव

आई०पी०एस०



पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश

1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक: लखनऊ: दिसम्बर 09, 2015

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इण्डिया एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य द्वारा, योजित पी०आई०एल० संख्या-59532/2015 में अपने आदेश दिनांकित 19.11.2015 द्वारा प्रदेश के थानों पर पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट को कुछ अपवादों सहित उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश पारित किये हैं।

Adde SP
Ch
कानूनी सेवायें, उत्तर प्रदेश
आपर पुलिस महानिदेशक मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को निम्नलिखित प्रकार की प्रथम सूचना 11/12/15 रिपोर्ट को संवेदनशील प्रकृति की श्रेणी में रखते हुए, उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड न करने के संबंध में इस मुख्यालय के अभिमत से अवगत कराया कर्तव्यानुगया था, जिसे मा० न्यायालय द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

- Adde SP*
11/12/15
- 1) धारा 376, धारा 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई व 377 भा०द०वि० के अपराध, क्योंकि इनमें पीड़िता के नाम का उद्घाटन वेबसाइट पर सार्वजनिक होना स्वाभाविक है (जिनका प्रकाशन धारा 228ए भा०द०वि० के अन्तर्गत भी दण्डनीय है)।

CO
CCTNS
For bisigal RL.
14/12/15

CO CCTNS
14/12/15

Tanu/K.M
14/12/15

- 2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाकसॉ एकट)-2012 के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त अपराध (ताकि पीड़ित का नाम सार्वजनिक न हो)।
- 3) ऐसे अवयस्कों द्वारा किये गए अपराध, जिन्हें धारा 21 जुवेनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एकट 2000 के अन्तर्गत उद्घाटित करना प्रतिबन्धित किया गया है।
- 4) आतंकवादी/उग्रवादी घटनाओं से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1967 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट।
- 5) ऑफीसियल सीक्रेट्स एकट के अन्तर्गत पंजीकृत अपराधों की समस्त प्रथम सूचना रिपोर्ट, क्योंकि ऐसे अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट उद्घाटित करने से राष्ट्रीय हित प्रभावित हो सकता है।
- 6) ऐसे प्रकृति के अपराध, जो कि साम्प्रदायिक घटनाओं से सम्बन्धित है तथा जिनमें भा०द०वि० के अन्य धाराओं के अतिरिक्त धारा 153ए, 295, 295ए, 296, 297, 298 भा०द०वि० का अपराध घटित हुआ है।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त प्रकार की संवेदनशील प्रथम सूचना रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड न करने के अतिरिक्त यह भी आदेशित किया गया है कि -

"We need only clarify that the category of cases spelt out above may not necessarily be exhaustive of all categories and there may be

...where the need to preserve the identity of the victim, the need of proper investigation, the protection of witnesses and other aspects involving a predominant consideration of public interest may warrant the FIR not being uploaded on the website of the police authorities. Where a decision is taken not to do so, such decision should be taken by an officer not below the rank of Superintendent of Police, for reasons to be recorded in writing."

अतः मा० न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि संवेदनशील प्रकृति की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अतिरिक्त ऐसे अभियोग, जिनमें पीड़ित की पहचान गोपनीय रखना आवश्यक है, उपयुक्त अन्वेषण के उद्देश्य से, साक्षियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एवं ऐसे अभियोग जिनमें जनहित महत्वपूर्ण है, उन अभियोगों की भी प्रथम सूचना रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड न करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यदि ऐसी किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड न करने का निर्णय लिया जाता है तो पुलिस अधीक्षक स्तर से अन्यून अधिकारी ऐसे निर्णय के कारण लिखित रूप से स्पष्ट करेंगे।

यदि पूर्व में वर्णित संवेदनशील 06 प्रकार की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अतिरिक्त जनपद पुलिस प्रभारी ऐसा महसूस करते हैं कि किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाना है, तो सकारण लिखित रूप से अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, इन्दिरा भवन, लखनऊ को फैक्स नं०-०५२२-२२८६६१५ एवं ई-मेल पता-tshq@up.nic.in पर तत्काल अवगत करायेंगे।

इससे पूर्व में भी इस मुख्यालय द्वारा कोई क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-37/98 श्याम लाल बनाम अन्य जो कि आरोपी को थाने एवं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करने विषयक है, में पारित आदेश 13.02.1998 के संदर्भ में परिपत्र संख्या: 39/98 दिनांकित 19.12.1998 निर्गत किया जा चुका है।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा, योजित रिट याचिका संख्या-37/98 श्याम लाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में दिये गये निर्णय का प्रभावी अंश निम्नलिखित है:-

"The office is directed to despatch a copy of this order to the D.G.P. of this State for its communication to and follow up action by every police station or the office of Supdt. of Police throughout the State for supplying the certified copy of the first information report to an accused or a person who apprehends that his name figure in any first information report either through personally or through his/their agent, including an Advocate."

मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के सभी थानों को अधियुक्त अथवा आरोपी के व्यक्तिगत व उसके/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि, जिसमें अधिवक्ता भी समाहित है अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आशंका है कि उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में हो सकता है, के प्रार्थना पत्र पर थाना स्तर अथवा जमापदीय पुलिस प्रभारी के कार्यालय स्तर से प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करने हेतु अनुरोद किया गया है।

अब: आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का
स्टडी से अनुपालन किया जाय।

भवदीय

मार्च ११/२०१५

(जगमोहन यादव)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवे अनुभाग, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, सी०बी०सी०आई०डी०, उ०प्र०, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ०प्र० लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ०प्र० लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ०प्र० लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवाएं, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्तानुसार अपलोड योग्य प्रथम सूचना रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर Upload करने के संबंध में तकनीकी/अन्य कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएं।
6. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
7. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।